

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

मैसर्स रेजोनेन्स कोटा
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

1. अपील संख्या - 96/2014/कोटा
.....अपीलार्थी.

मैसर्स रेजोनेन्स एज्यूवेंचर्स प्रा०लि०,
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

2. अपील संख्या - 97/2014/कोटा
.....अपीलार्थी.

मैसर्स ऐलन केरियर इन्सटीट्यूट, कोटा
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

3. अपील संख्या - 99/2014/कोटा
.....अपीलार्थी.

मैसर्स बंसल क्लासेज प्रा. लि., कोटा
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

4. अपील संख्या -101/2014/कोटा
.....अपीलार्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :
श्री डी कुमार
अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

मूल निर्णय दिनांक : 26.09.2017

संशोधित आदेश दिनांक : . 31.01.2018 ✓

संशोधित आदेश

राजस्थान कर बोर्ड की इसी खण्डपीठ द्वारा दिनांक 26.09.2017 को उक्त अपीलों संख्या 96/2014, 97/2014, 99/2014, 101/2014/कोटा में संयुक्त निर्णय परित किया गया था। उक्त निर्णय में प्रकरण संख्या 96/2014 व 97/2014/कोटा में अपीलार्थी का नाम मै० रेजोनेन्स एज्यूकेचर्स प्रा० लि०, कोटा त्रुटिवश टंकित हो गया। जबकि अपील संख्या 96/2014/कोटा का उनवान (Title) मैसर्स रेजोनेन्स, कोटा बनाम सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा तथा अपील संख्या 97/2014/कोटा का उनवान मैसर्स रेजोनेन्स एज्यूवेंचर्स प्रा०लि०, बनाम सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा है।

अतः निर्णय के शीर्षक (Title) में टंकण की त्रुटि को संशोधित करते हुए शीर्षक (Title) को निम्न प्रकार पढा जायें :-

अपीलार्थी व्यवहारी की अपील संख्या मय उनवान निम्न प्रकार है :-

मैसर्स रेजोनेन्स कोटा
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

1. अपील संख्या - 96/2014/कोटा
.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

लगातार.....2.

मैसर्स रेजोनेन्स एज्यूवेंचर्स प्रा०लि०,
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

मैसर्स ऐलन केरियर इन्सटीट्यूट, कोटा
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

मैसर्स बंसल क्लासेज प्रा. लि., कोटा
बनाम
सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

2. अपील संख्या - 97/2014/कोटा

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या - 99/2014/कोटा


.....अपीलार्थी.


.....प्रत्यर्थी

4. अपील संख्या -101/2014/कोटा

.....अपीलार्थी.

उपरोक्तानुसार अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 के शीर्षक (Title) को संशोधित किया जाता है। संशोधित आदेश की प्रति प्रत्येक मूल पत्रावलियों पर रखी जाये एवं पक्षकारों को प्रेषित की जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष